अंचल कार्यालय, पाकुड़।
(आदेश–पत्रक)

दिनांक 08.07.2022 से 12/6/23 तक

केस का प्रकार :– राजस्व विविध वाद संख्या–01/2022–23

आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर (01)	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
01	02	03
27/2/23 12/6/23	(see order below)	

आदेश

इस राजस्व विविध वाद की कार्यवाही आवेदक हुरिया रजवार, पिता–शिवम रजवार, सा0–शर्मापुर, थाना–रांगा, जिला–साहेबगंज द्वारा समर्पित आवेदन पर प्रारंभ की गयी। आवेदक द्वारा अपने अभ्यावेदन में अंचल कार्यालय, पाकुड़ से निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र संख्या–16, दिनांक–26.04.2017 को रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आवेदक के आवदन पर संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से राजस्व अभिलेख एवं स्थलीय जॉच के आधार पर विस्तृत जॉच करायी गयी। जॉचोपरान्त इनके द्वारा समर्पित प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति बिन्दुवार निम्नरूपेण पायी गयी :–

1. मौजा–बलियाडांगा, थाना संख्या–77, के खाता संख्या–60 सर्वे खतियान में खतियानी रैयत लगनी राजवारीन व खुदिया रजवारीन, पिता–बीरवल रजवार, दशरथ रजवार, पिता–झकटु रजवार व गुहि रजवार, पिता–गंगाराम रजवार, सा0–निज ग्राम के नाम से दर्ज है।

2. जॉच के क्रम में पाया गया कि अंचल कार्यालय, पाकुड़ से निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र संख्या–16/26.04.2017, में खतियानी रैयत खुदी/खुदिया रजवार का परपौता दर्शा कर आवेदक–लखन रजवार द्वारा पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र निर्गत कराया गया। उक्त प्रमाण पत्र में सुमन रजवार एवं प्रेम रजवार को आवेदक–लखन रजवार का भाई दर्शाया गया है, जबकि प्रमाण पत्र में खतियानी रैयत के रूप में अंकित लगनी रजवार को नावल्द दर्शाया गया है।

3. आवेदक हुरिया रजवार द्वारा समर्पित दस्तावेज़ के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि हुरिया रजवार स्वयं लगनी रजवारीन के परनाती है। जॉच के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि लगनी रजवारीन का विवाह, रघुआ रजवार से हुआ है, जिसकी दो पुत्री दुलारी रजवारीन और सोनुआ रजवारीन है। वर्तमान में सोनुआ रजवारीन की मृत्यु हो चुकी है। सोनुआ रजवारीन का विवाह, साहेबगंज जिला अन्तर्गत ग्राम–चुटिया, पो0–घटिमारी में राबोर रजवार के साथ हुआ था, जबकि दुलारी रजवारीन का विवाह साहेबगंज जिला अन्तर्गत ग्राम–शर्मापुर, थाना–रांगा में शिवम रजवार के साथ हुआ था। आवेदक–हुरिया रजवार, दुलारी रजवार का पुत्र है। आवेदक–हुरिया रजवार द्वारा मौजा–बलियाडांगा के खाता संख्या–60 से संबंधित निर्गत लगान रसीद की प्रति समर्पित की गयी है।

4. जॉच के क्रम में आवेदक–हुरिया रजवार द्वारा बताया गया कि उनकी मॉं दुलारी रजवारीन एवं मोसी सोनुआ रजवारीन विवाह के पश्चात् अपने–अपने ससुराल में निवास करने लगी और मौजा–बलियाडांगा, थाना संख्या–77 के खाता संख्या–60 के भूमि पर कृषि कार्य हेतु मोहन रजवार, पिता–हराधन रजवार को बटाईदारी पर दिया गया है। तत्पश्चात् मोहन रजवार और दुलारी रजवारीन के मध्य भूमि विवाद हुआ, जिसके तहत् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पाकुड़ के समक्ष अपराधिक वाद संख्या–331/2016 दायर किया गया। उक्त अपराधिक वाद संख्या–331/2016 में गवाह के रूप में लखन रजवार, पिता–विदेशी रजवार एवं प्रेम रजवार, पिता–विदेशी रजवार द्वारा गवाही दी गयी थी। सोनुआ रजवारीन इनकी मौसेरी चचेरी बहन लगती है एवं सोनुआ रजवारीन उर्फ सोनामुनी देवी एवं दुलारी रजवारीन का कोई भाई नहीं रहने के कारण अपने पिता के जमीन जायदाद के देख–रेख करती थी। पिता और माता के पश्चात् दोनों बहन ससुराल में आकर उक्त जमीन जायदाद की देख–रेख करती थी, जबकि दुसरी और कार्यालय से निर्गत प्रमाण पत्र संख्या–16/26.04.2017 में लगनी रजवारीन को नावल्द दर्शाया गया

Digitally signed by BHAGIRATH MAHTO
Date: 2024.07.03 11:50:31 +05:30
Location: 192.168.0.115

Scanned with CamScanner